BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. NO. 523/2022

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Sayed Mehmood Ali Chisti

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of MP & Ors.

INDEX

Sl.	Particulars	Annexure	Page No.
01	Additional Reply		1-2
02	Affidavits		3-4
03	Copy of the order dated 24/07/2023	ANNEXURE R-3/8	5-14
04	Copy of the work order dated 04/05/2023	ANNEXURE R-3/9	15
05	Copy of the work order dated 06/07/2023	ANNEXURE R-3/10	16
06	Copy of photographs of Composting Facility and MRF centre	ANNEXURE R-3/11	17-18
07	Vakalatnama		

Place: BHOPAL

Date: 25/07/2023

(SACHIN K. VERMA ADV)

COUNSEL FOR RESPONDENTS No. 3 & 5

(1)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
O.A. NO. 523/2022

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Sayed Mehmood Ali Chisti

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of MP & Ors.

ADDITIONAL REPLY ON BEHALF OF RESPONDENTS NO. 3 & 5

The answering respondents, named above, most respectfully submit as follows:-

1. The Hon'ble Tribunal vide its order dated 21/03/2023 directed the answering respondents no. 3 & 5 to file the additional reply with regard to the solid and liquid waste management.

2. It is further submitted that in compliance to the directions passed by the Hon'ble Tribunal the answering respondents vide its order dated 24/07/2023 has allotted the land for construction of the landfill site at Khasra 27/4 and Khasra No. 27/5 bearing the total area of about 6.070 Hectare, at Village Nahadiya, Tehsil Harda, District Harda (M.P.). It is further stated the land allotment process is carried out under the Swach Bharat Mission 2.O, scheme of the State Government to prepare solid waste processing centre and District Level Sanitary Landfills. It is noteworthy to mention over here that proper arrangements are made for the scientific solid waste management and treatment. The copy of the order dated 24/07/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-3/8**

3. The Municipal Council, Harda, has allotted work order of Rs 80,92,900/- in favour of M/S Altech Enviro Private Limited, with regard to the Bio Remediation work of Legacy waste dumping site. The consultant will also ensure the security measures and covering the dumping site by raising barbed fencing around the area. It is pertinent to mention over here that the total land of solid waste and

(2)

bio-Degradable waste generated in District Harda is 8-10 Ton per day & 10-12 Ton per day respectively and further the present treatment facility available for the disposal of municipal solid waste is 12 Ton per day and for Bio-Degradable waste is 19-20 Ton per Day. The copy of the work order dated 04/05/2023is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-3/9**

4. The Municipal Council, Harda has issued work order in favour of Shankar Gangaram, Harda for the purpose of the solid waste segregation and composting work, at waste processing centre. The copy of the work order dated 06/07/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-3/10**

5. The Material Recovery Facility Centre and composting facility in District Harda is operational whereby the solid waste collected from District Harda is properly segregated meaning thereby the dry waste is properly segregated from wet waste for its composting and accordingly the remaining inert is sent to the dumping site. The copy of photographs of Composting Facility and MRF centre are cumulatively marked and filed herewith as **ANNEXURE R-3/11**

6. It is most humbly submitted that the answering respondents are duly complying in adherence to the Solid Waste Management Rules 2016 and the work of Municipal solid waste collection, segregation, storage, transportation, treatment and scientific disposal of Municipal solid waste is cautiously carried out by the concerned authorities.

7. In the light of judicial and factual matrix of the matter the reply may kindly be taken on record and the Hon'ble Tribunal may pass any appropriate order in this regard.

8. Affidavits in support are filed herewith.

Place: BHOPAL
Date: 25/07/2023

(SACHIN K. VERMA ADV)
COUNSEL FOR RESPONDENTS No. 3 & 5

NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

(3)

O.A. NO. 523/2022

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Sayed Mehmood Ali Chisti

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of MP & Ors.

AFFIDAVIT

I, Gyanendra Kumar Yadav, Aged about 61 years, S/o Shri Ramlakhan Yadav, posted as Chief Municipal Officer O/o Municipal Council Harda (M.P.), do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I have been impleaded as Respondent No. 3 and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.

2 That the accompanying additional reply/compliance report has been drafted as per my instructions and also explained to me.

3. That the contents of para 1 to end of accompanying additional reply/ compliance report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

NOTARY DISTT.BHOPAL (M.P.) PUSHPA PARPIYANI Reg.M.P.-09/14/01 21-ब(से) 18-07-2026 GOVT. OF M.P. INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this 25 day of July 2023 at Bhopal (M.P)

IDENTIFIED BY ME
NAME Harshita Tejwani
ADD Advocate Distt. Ct.
SIGN Bhopal

SWORN BEFORE ME THE WITHIN NAMED
Pushpa 25.07.23
PUSHPA PARPIYANI
NOTARY / ADVOCATE
BHOPAL (M.P.) INDIA

DEPONENT

NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL

(4)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. NO. 523/2022

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Sayed Mehmood Ali Chisti

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of MP & Ors.

AFFIDAVIT

I, Sanjeev Kumar Nagu, Aged about 52 years, S/o Shri K.C Nagu, posted as Deputy Collector, Harda O/o Collectorate Harda (M.P.), do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I am appointed as Officer In-charge in the present matter on behalf of Respondent No. 5 and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.

2 That the accompanying additional reply/compliance report has been drafted as per my instructions and also explained to me.

3. That the contents of para 1 to end of accompanying additional reply/ compliance report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

NOTARY DISTT.BHOPAL (M.P.) PUSHPA PARPIYANI Reg.M.P.-09/14/01 21-ब(दो) 18-07-2026 GOVT. OF M.P. INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this 25th day of July 2023 at Bhopal (M.P)

DEPONENT

IDENTIFIED BY ME
NAME Harshita Tejwani
ADD Advocate
SIGN Distt. Court BPL

SWORN BEFORE ME
THE WITHIN NAMED
Pushpa
25-07-23
PUSHPA PARPIYANI
NOTARY / ADVOCATE
BHOPAL (M.P.) INDIA

ANNEXURE R-3/8

(5)

न्यायालय कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी जिला हरदा

रा.प्र.क्र. 01/अ-20(5)/2023-24
ग्राम नहाडिया तहसील हरदा
जिला हरदा म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद हरदा,
तहसील हरदा जिला हरदा, - आवेदक

बनाम

म.प्र.शासन राजस्व विभाग

//आदेश//

(पारित दिनांक 21 /07/2023)

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा द्वारा मौजा नहाडिया तहसील हरदा स्थित शासकीय छोटाघास मद की भूमि खसरा नंबर 27/4 एवं खसरा नंबर 27/5 कुल रकबा 6.859 हे. में से 6.070 हे. भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आबंटित किये जाने के संबंध में नजूल निवर्तन निर्देश नियम 2020 के प्रावधानो के तहत ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था ।

2. उक्त आशय का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी हरदा को जांच हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी हरदा द्वारा तहसीलदार हरदा से जॉच प्रतिवेदन लिया गया। तहसीलदार हरदा द्वारा ज़ांच के दौरान प्रकरण में इश्तहार का प्रकाशन कराया गया एवं हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया, पश्चात् तहसीलदार हरदा द्वारा प्रतिवेदन अंकित किया गया। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि इश्तहार जारी करने पर नियत समयावधी में ग्राम पंचायत सामरधा एवं ग्रामवासी नहाडिया द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत आपत्ति पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद हरदा से प्रतिउत्तर लिया गया । मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा द्वारा उल्लेख किया कि ग्राम नहाड़िया में नगर पालिका हरदा को भूमि आवंटन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र एवं जिला स्तर की सेनेटरी लैंडफिल तैयार करने हेतु केन्द्र शासन की स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजनान्तर्गत किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सामरधा एवं कोयागांव के व्दारा आवेदित भूमि आवंटन के संबंध में कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण

कलेक्टर
जिला हरदा

(6)

//2// रा.प्र.क्र. 01/अ-20(5)/2023-24

पर आपत्ति ली गई, किन्तु आवेदित भूमि पर वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रसंस्करण का कार्य किया जावेगा, जिससे प्रदूषण फैलने एवं कचरे में आग लगने की संभावना नही है। कचरे का परिवहन बंद गाडियों में सुरक्षित तरीके से किया जावेगा, जिससे मार्ग में गंदगी फैलने की संभावना नही है। आपतिकर्ताओं की आपत्ति औचित्यविहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. तहसीलदार हरदा द्वारा प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूमि छोटाघास मद में दर्ज होकर निस्तार पत्रक अनुसार चराई एवं पत्थर के लिए सुरक्षित है । उक्त भूमि मौके पर रिक्त है तथा आवेदित भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नही है। मध्यप्रदेश नजूल निर्वतन निर्देश 2020 की धारा 3 ग के अनुसार वादोक्त भूमि नजूल भूमि नही है । ग्राम नहाड़िया स्थित भूमि खसरा नंबर 27/4 रकबा 6.018 हे. ख.नं. 27/5 रकबा 0.841 हे. कुल रकबा 6.859 हे. भूमि छोटाघास मद में दर्ज होकर निस्तार पत्रक अनुसार चराई एवं पत्थर के लिये सुरक्षित है। ग्राम में चरनोई का रकबा 2 प्रतिशत से रकबा 20.1375 हे. अधिक है। ग्राम मे चरनोई का रकबा दो प्रतिशत से अधिक होने से मुख्य नगरपालिका परिषद हरदा को ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होना प्रतिवेदित करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी हरदा की ओर प्रेषित किया गया ।

4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा द्वारा तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

5. प्रकरण इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण प्रचलन के दौरान सरपंच ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासी झाडपा तथा ग्राम पंचायत सामरधा एवं ग्रामवासी कायागांव द्वारा भी आवेदित भूमि आबंटन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई । प्रस्तुत आपत्ति पर क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औदधोगिक क्षेत्र मंडीदीप जिला रायसेन से एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद हरदा से रिपोर्ट ली गई तथा उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला नर्मदापुरम से भी अभिमत लिया गया ।

6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा द्वारा पत्र क्रमांक 2785 दिनांक 30.06.2023 के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया कि ग्रामवासी झाडपा एवं सरपंच ग्राम पंचायत झाडपा सरपंच ग्राम पंचायत सामरधा एवं ग्रामवासी कायागांव के द्वारा आपत्तियों में उठाये गये बिंदु के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य एवं बिंदुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

कलेक्टर
जिला हरदा

//3// रा.प्र.क्र. 01/अ-20(5)/2023-24

क्रमांक	आपत्ति के बिन्दु	प्रतिउत्तर
1	यह कि, आवेदित भूमि गौचर की भूमि होकर ग्राम से लगी हुई है जहां आसपास ग्रामीणजन अपने-अपने परिवार के साथ निवास करते हैं।	नगर पालिका हरदा द्वारा 6.070 हेक्टेयर भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवंटित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है जो नहाड़िया में उपलब्ध शासकीय गौचर भूमि का केवल एक भाग हैं, भूमि आवंटन के पश्चात भी गौचर हेतु भूखण्ड उपलब्ध रहेगा।
2	यह कि, आवेदित भूमि के आस-पास किसानों की उपजाउ कृषि भूमियां लगी हुई है।	यह सत्य है कि आवेदित भूमि के आसपास कृषि भूमि लगी हुई है किन्तु भूमि आवंटन के पश्चात निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण का कार्य पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से किया जावेगा, जिससे कृषि भूमि पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नही रहेगी।
3	यह कि, आवेदित भूमि जहां स्थित हैं वहां से आवागमन का काफी दबाव हैं और आवागमन का मार्ग सिंगल पट्टी रोड़ होकर मार्ग काफी सकरा है।	आवेदित भूमि के आसपास जनसंख्या घनत्व काफी कम है जिस कारण वहा से आवागमन का दबाव नहीं है एवं आवेदित भूमि के आसपास परिवहन हेतु समुचित मार्ग उपलब्ध है।
4	यह कि आवेदित जमीन जहाँ स्थित है वहा से कई ग्राम के लोगो का आवागमन है ।	यह सत्य है कि आवेदित जमीन के आसपास लोगों का आवागमन होता है किन्तु निकाय द्वारा कचरे का परिवहन बंद वाहनों में सुरक्षित रूप से किया जायेगा जिससे मार्ग मे गंदगी फैलने की संभावना नही रहेगी।
5	यह कि, आवेदित भूमि को नगर पालिका परिषद्, हरदा को आवंटित करके उसमें शहर हरदा का कचरा डाला जावेगा।	यह जानकारी गलत है कि निकाय द्वारा भूमि आवंटन के पश्चात वहा पर हरदा शहर का कचरा डाला जावेगा, अपितु शासन के निर्देशानुसार उक्त भूमि पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के तहत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र एवं सेनेटरी लैंडफिल का निर्माण कराया जावेगा ।

कलेक्टर
जिला हरदा

6	यह कि, नगर पालिका परिषद्, हरदा द्वारा वर्तमान में नहाड़िया जाने वाले मार्ग पर कचरा डाला जाता है, उससे वहाँ आस-पास रहने वाले लोग कितने परेशान है। इस संबंध में हम प्रतिदिन उन्हें देखते हैं और समाचार पत्र, टीवी चैनलो पर भी समाचार सुनने और देखने को मिलता हैं। उन लोगों की शिकायत के कारण ही वहाँ से कचरा डालने का स्थान बदलकर हमारे ग्राम में उपरोक्त भूमि नगर पालिका परिषद्, हरदा प्राप्त कर उसमें शहर हरदा का कचरा डालना चाहती हैं जिसमें हमें घौर आपत्ति हैं।	यह सत्य है कि वार्ड क्रमाक 31, मुक्तिधाम के पास नहाड़िया जाने वाले मार्ग पर निकाय के लेगेसी वेस्ट डंपसाईट स्थित है किन्तु उक्त डंपसाईट के समस्त लेगेसी बेस्ट के रेमेडिएशन हेतु निकाय द्वारा कार्यादेश जारी किया जा चुका हैं एवं आगामी माहों में कार्य पूर्ण करा लिया जावेगा। ग्राम नहाड़िया में आवेदित भूमि पर शासन के निर्देशानुसार उक्त भूमि पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के तहत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र एवं सेनेटरी लैंडफिल का निर्माण कराया जावेगा।
7	कचरा डालने से आगजनी की घटना होने की पूर्ण संभावना रहेगी।	आवेदित भूमि पर पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के तहत कचरा प्रसंस्करण का कार्य किया जावेगा जिससे आगजनी की घटनायें होने की संभावनाये नही रहेगीं।
8	कचरा डालने से बदबू आकर प्रदूषण होगा और ग्रामीणजन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।	आवेदित भूमि पर पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के तहत कचरा प्रसंस्करण का कार्य किया जावेगा जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैलने एवं ग्रामीण जनों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं रहेगीं।
9	यह भूमि गौचर की हैं जिसमें ग्राम की गौ मातायें विचरण करती हैं जिससे वे वंचित हो जावेगी और वहाँ कूड़ा करकट पन्नी इत्यादि खाने से गौमाताओं की मृत्यु होगी।	नगर पालिका हरदा द्वारा 6.070 हेक्टेयर भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवंटित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है जो नहाड़िया में उपलब्ध शासकीय गौचर भूमि का केवल एक भाग हैं, भूमि आवंटन के पश्चात भी गौचर हेतु भूमि उपलब्ध रहेगी।

कलेक्टर हरदा (म.प्र.)

10	आस-पास की कृषि भूमि प्रदूषण के कारण अनुपजाउ होगी और उपज भी प्रभावित होगी।	भूमि आवंटन के पश्चात निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण का कार्य पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से किया जावेगा, जिससे कृषि भूमि पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नही रहेगी।
11	कचरा डालने के लिए नगर पालिका के दर्जनों वाहनों का आवागमन प्रतिदिन होगा जिससे दुर्घटनायें बढ़ेगी क्योंकि मार्ग बहुत सकरा हैं और ग्रामीणों का आवागमन 24 घंटे रहता हैं।	निकाय द्वारा कचरे का परिवहन बंद वाहनों में सुरक्षित रूप से किया जायेगा आवेदित भूमि तक वाहनों के पहुंचने हेतु समुचित मार्ग उपलब्ध हैं जिस कारण मार्ग में कचरा परिवहन वाहनो के आवागमन से दुर्घटनायें होने की संभावना नहीं हैं।
12	कूड़ा करकट मृत पशु वहाँ डाले जायेंगे जिससे भयंकर बदबू से हवा दूषित होने के साथ-साथ मांसाहारी पशु जैसे- कुत्ते, सियार वहाँ 24 घंटे रहेंगे और ग्रामीणों को उनसे अपनी जान का खतरा रहेगा।	निकाय द्वारा आवेदित भूमि पर कूड़ा करकट, मृत पशु नहीं डाले जायेंगें अपितु ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र एवं सेनेटरी लैंडफिल का निर्माण कर पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से कचरा प्रसंस्करण का कार्य किया जावेगा, जिससे वहां पर वायु प्रदूषण होने एवं मांसाहारी पशुओं जैसे कुत्ते, सियार के विचरण कर गंदगी फैलाने की संभावना नहीं रहेगी।
13	जहां यह जमीन स्थित हैं वहाँ से राहगिरों के स्वास्थ्य पर भी विपरित प्रभाव पड़ेगा।	प्रदूषण फैलने से राहगिरो के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का विपरित प्रभाव नही पडेगा।
14	सबसे बड़ी समस्या तो यह भूमि नगर पालिका को आवंटित करने से उत्पन्न होगी कि हरदा जिले का सबसे बड़ा तालाब इस भूमि से कुछ ही दूरी पर है। इस तालाब में मछली पालन, कमल कंद, सिंगाड़े का कार्य होता है एवं पानी पीने योग्य है। इसलिये तालाब का पानी प्रदूषित होगा और जो आय सरकार हो होती हैं वह बंद हो जावेगी। साथ ही उपरोक्त जमीन के आस-पास वन भूमि भी हैं जिससे पशु-पक्षी और पेड़-पौधे भी प्रभावित होगे।	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार सेनेटरी लैंडफिल तालाब, झील आदि से 200 मीटर दूरी पर स्थित होना आवश्यक हैं, निकाय द्वारा आवेदित भूमि कायांगांव स्थित तालाब से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण तालाब में जल प्रदूषण होने एवं जलीय जीव-जंतुओं के प्रभावित होने की संभावना नही रहेगी।

कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा (म.प्र.)

कलेक्टर
जिला हरदा

6.1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद हरदा द्वारा अपने प्रतिवेदन में मुख्य रूप से यह भी उल्लेख किया कि:-

6.1.1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार सेनेटरी लैंडफिल हेतु चयनित भूमि नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, आवास स्थलो, सार्वजनिक उद्यानों एंव जल आपूर्ति कुओं से 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिये तथा सेनेटरी लैंडफिल कम से कम 20-25 वर्षो तक चलने के लिये पर्याप्त रूप से बड़े होना चाहिये, निकाय द्वारा आवेदित भूमि उपरोक्तानुसार सभी मापदंडों के अनुसार उपयुक्त हैं।

6.1.2. भूमि आवंटन के पश्चात निकाय द्वारा सेनेटरी लैंडफिल एवं ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र का निर्माण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के सभी प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा जिसमें अपशिष्ट प्रसंस्करण का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से पूर्णतः फेंसिंग किये हुए प्लांट में किया जावेगा, जिस कारण उक्त स्थल पर प्रदूषण फैलने एवं कचरे में आग लगने की घटनायें होने की संभावना नही रहेगी।

6.1.3. निकाय द्वारा सेनेटरी लैंडफिल एवं ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र के निर्माण होने के पश्चात उक्त स्थल तक कचरे का परिवहन बंद वाहनो में सुरक्षित तरीके से किया जावेगा जिससे परिवहन मार्ग में गंदगी फैलने की संभावना नही रहेगी।

अतः ग्रामवासी झाड़पा एवं सरपंच ग्राम पंचायत झाड़पा, सरपंच ग्राम पंचायत सामरधा एवं ग्रामवासी कायागांव के द्वारा प्रेषित की गई आपतियां औचित्यहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद हरदा द्वारा अपने प्रतिवेदन में किया गया है ।

7. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला नर्मदापुरम द्वारा पत्र दिनांक 28.06.2023 के माध्यम प्रतिवेदन प्रेषित किया गया । जिसमें उल्लेख किया कि प्रश्नाधीन भूमि ग्राम नहाडिया तहसील हरदा की भूमि खसरा क्रमांक 27/4 एवं 27/5 रकबा 6.070 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किसी भी निवेश क्षेत्र की सीमा में स्थित नही है। प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख पहुँच मार्ग की दूरी लगभग 12.00 मीटर चौडाई होना आवश्यक है। मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के मार्गदर्शी मापदंडो के आधार पर भूमि आवंटन किया जाना उचित होने का लेख किया गया है ।

न्यायालय कलेक्टर जिला हरदा (म.प्र.)

कलेक्टर
जिला हरदा

8. क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जिला रायसेन द्वारा पत्र क्रमांक 1102/क्षेका/प्रनिबो/2023 मंडीदीप दिनांक 05.07.2023 के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । जिसमें उल्लेख किया कि आवेदित भूमि के आबंटन के संबंध में डॉ. प्रवीण कोठारी क. वैज्ञानिक से स्थल निरीक्षण कराया गया । स्थल निरीक्षण के समय लिए गये फोटोग्राफ एवं गूगल मैप के अनुसार प्रस्तावित भूमि के समीप स्थित तालाब की दूरी 200 मीटर से कम प्रतीत होती है। उक्त भूमि आबंटन के संबंध में मख्य नगर पालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद हरदा को ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 की अनसूची-1 एवं अनुसूची-2 में वर्णित प्रावधानो का पालन सुनिश्चित करने संबंधी निर्देशो के साथ प्रकरण पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

9. क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जिला रायसेन से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी हरदा से पुनः स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी हरदा द्वारा पत्र क्रमांक 1522 दिनांक 18.07.2023 के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया कि ग्राम नहाडिया में राजस्व अभिलेखों में कोई भी शासकीय तालाब या निजी तालाब दर्ज नहीं है तथा ग्राम नहाड़िया से पश्चिम की ओर ग्राम कायागाँव में शासकीय तालाब स्थित है। जिसकी दूरी प्रस्तावित भूमि से 600 मीटर है तथा दक्षिण में भूमिस्वामी हक में खसरा नम्बर 31/10 भूमिस्वामी संजीव कुमार आ० मोहनलाल जाति विश्नोई, खसरा नम्बर 31/4 भूमि स्वामी मोहनलाल आ० हजारीलाल जाति विश्नोई एवं खसरा नम्बर 31/8 भूमिस्वामी रामजीवन आ० माणकचंद जाति विश्नोई की भूमि स्थित है किन्तु कोई तालाब स्थित नहीं हैं। अनुविभागीय अधिकारी हरदा द्वारा प्रतिवेदन के साथ नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है ।

10. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 18.07.2023 के तारतम्य में क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जिला रायसेन से पुनः स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन लिया गया। क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र क्रमांक 1185/क्षेका/प्रनिबो/2023 मंडीदीप दिनांक 20.07.2023 के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण समय लिये गये फोटोग्राफ एवं गूगल मैप के अनुसार प्रस्तावित भूमि (अक्षांश 22.369298° देशांतर 77.024431°) से तालाब की दूरी 200 मीटर से कम प्रदर्शित हो रही थी ।

प्रस्तावित स्थ[illegible] के अक्षांश एवं देशांतर क्रमश 22° 21'57.9"N, 77°01'38.1"E में तालाब से दू[illegible] गूगल मेप अनुसार लगभग 600 मीटर बतलायी गयी है जो कि ठास अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसूची-1 में उल्लेखित तालाब से 200 मीटर की दूरी के अनुरूप है।

कलेक्टर

(12)

11. प्रकरण में उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पाया कि प्रकरण में प्राप्त आपतियां तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी हरदा तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद हरदा एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदनो के आधार पर औचित्यहीन एवं निराधार होने से निरस्त की जाती है । स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु लिगेसी वेस्ट डम्प साईड रेमेडियशन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सेनेटरी लैंड फिल्ड का निर्माण होना है । नगरपालिका क्षेत्र हरदा में आसपास कोई उपयुक्त शासकीय भूमि उपयुक्त नही है । ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु भूमि आबंटन किया जाना आवश्यक है । तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है तथा किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नही है। आवेदित भूमि छोटाघास मद में दर्ज होकर निस्तार पत्रक अनुसार चराई एवं पत्थर के लिए सुरक्षित दर्ज है। ग्राम में चराई का रकवा 2 प्रतिशत से 20.137 हे. अधिक है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिवेदन अनुसार 200 मीटर की परीधी में कोई तालाब स्थित नही है । आवेदित भूमि निवेश क्षेत्र की सीमा में स्थित नही है। प्रकरण में आये समस्त जांच प्रतिवेदनो के आधार पर आपतिकर्ताओं की आपति निराधार होने से निरस्त योग्य है । जिला स्तरीय गठित नजूल निवर्तन समिति द्वारा भी आवेदित भूमि हस्तांतरण किये जाने में अपनी सहमति दी गई है। आवेदित भूमि के हस्तांतरण के संबंध में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा द्वारा अनुशंसा की गई है ।

12. मध्यप्रदेश नजूल निवर्तन निर्देश 2020 अध्याय 4 की कण्डिका 92 में दर्शित तालिका (1) के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए- जैसे सडक, उद्धान, खेल का मैदान, फिल्टर प्लांट, कचरा खंती (ट्रेचिंग ग्राउंड), अस्पताल, स्कूल, कार्यालय आदी के लिए शुन्य प्रब्याजी पर भूमि बंटन के प्रावधान दिये गये है । आवेदित भूमि ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु शुन्य प्रब्याजी पर बंटित की जाना है तथा कण्डिका 96 के अनुसार भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुननिर्धारण नियम 2018 के अनुसार वार्षिक भू-राजस्व देय होगा ।

13. अत: उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मौजा ग्राम नहाड़िया तहसील हरदा स्थित छोटाघास मद की भूमि खसरा नंबर 27/4 रकबा 6.018 हे. ख.नं. 27/5 रकवा 0.841 हे. कुल रकबा 6.859 हे. में से 6.070 हे. भूमि मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद हरदा को ठोस अपशिष्ठ प्रबंध्न हेतु निम्न शर्तो के अधीन हस्तांतरित की जाती है ।

शर्ते:-

1. हस्तांतरित भूमि का उपयोग नजूल निवर्तन निर्देश 2020 अध्याय 4 की कण्डिका 92(1) के अनुसार ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु ही किया जायेगा ।

कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा (म.प्र.)

कलेक्टर

(13)

2. भूमि का उपयोग आबंटन के अनुरूप तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जावे, समयावधि में उपयोग नहीं होने पर रिक्त भूमि अन्य महत्वपूर्ण शासकीय प्रयोजन के लिये आरक्षित की जा सकेगी ।

3. अनुविभागीय अधिकारी/नजूल अधिकारी हरदा आदेशानुसार रिकार्ड दुरूस्त करें साथ ही हस्तांतरित उक्त भूमि का सीमांकन कर सबंधित विभाग को कब्जा दिलाने की कार्यवाही भी करे ।

4. किसी भी वरिष्ठ न्यायालय से हस्तांतरित भूमि के संबंध में कोई आदेश या स्थगन प्राप्त होता है, तो इस न्यायालय का वरिष्ठ न्यायालय के आदेश पालन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

5. हस्तांतरित उपरोक्त भूमि पर निर्माण के पूर्व संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल तथा अन्य कोई संवंधित विभाग के दिशा निर्देश हो तो उनके दिशा निर्देशों का भी पालन करना अनिवार्य होगा ।

6. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नर्मदापुरम् / हरदा के प्रस्ताव अनुसार हरदा विकास योजना एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानो के अनुसार गैर आवासीय गतिविधि के विकास हेतु न्यूनतम 12.00 मीटर चौडाई का पहुंच मार्ग रखना आवश्यक होगा तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के मार्गदर्शी मापदंडो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

7. यह आदेश नगरपालिका परिषद हरदा की सामान्य सभा एवं कार्यकारी समिति के संकल्पो के अध्ययीन रहेगा ।

8. ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में वर्णित प्रावधानो का पालन किया जाना आवश्यक होगा ।

9. प्रस्तावित ठोस अपशिष्ठ प्रसंस्करण निपटान सुविधा संबंधी ब्यौरा, प्रस्तावित कार्य पद्धति, शोधन प्रोधोगिकी का विवरण उपलब्ध नही है । अतः नगरपालिका परिषद हरदा को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी तकनीकि, मार्गदर्शी सिद्धांतो और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन संबंधी मेन्युअल के अनुसार प्रस्तावित सुविधा का डिजाईन करने तथा इसकी स्थापना सुनिश्चित करना होगा ।

(कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा (म.प्र.))

कलेक्टर
जिला हरदा

(14)

//10// रा.प्र.क्र. 01/अ-20(5)/2023-24

10. अन्य कोई केन्द्रीय शासन या राज्य शासन के यदि नियम निर्देश लागू होते हो तो उनका भी पालन करना अनिवार्य होगा तथा निर्माण से पूर्व यदि कोई सक्षम अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा तो सक्षम अनुमति भी प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

11. उपरोक्त दर्शित शर्तो का पालन न करने की स्थिति में इस न्यायालय द्वारा यह पारित आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

यह आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकण कराया गया तथा मेरी हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया ।

(ऋषि गर्ग)
कलेक्टर
कलेक्टर
जिला हरदा
जिला हरदा

पृ.क्र./ 8195/रीडर-1/2023 हरदा दिनांक 21/07/2023

प्रतिलिपी:-

1. क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्धोगिक क्षेत्र मंडीदीप जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ ।
2. अनुविभागीय अधिकारी हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा जिला हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

न्यायालय कलेक्टर जिला हरदा (म.प्र.)

कलेक्टर
कलेक्टर
जिला हरदा
जिला हरदा

ANNEXURE R-3/9

कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदा जिला हरदा

(15)

क्रमांक / जनस्वास्थ्य शाखा / 2023 / 1832 हरदा, दिनांक 04/05/23

प्रति,

M/S ALTECH ENVIRO PRIVATE LIMITED
7/37 HASIMPUR ROAD PRAYAGRAJ 211001
UTTAR PRADESH

विषयः— नगर पालिका हरदा में लीगेसी वेस्ट डंप साइट रेमिडियेशन कार्य संपादित करने बाबत्।

संदर्भः— आपका अनुबंध दिनांक 01.05.2023।

विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिका परिषद हरदा में लीगेसी वेस्ट डंप साइट रेमिडियेशन कार्य हेतु लगाए गए आनलाइन टेंडर क्रमांक 2023_UAD_249812_1 दिनांक 03.02.2023 में आपके द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 16.8% below अध्यक्षीय आदेश दिनांक 29.03.23 के द्वारा स्वीकृत की गई है। उक्त कार्य का विवरण निम्नानुसार हैः—

1. कार्य का नामः— नगर पालिका परिषद हरदा में लीगेसी वेस्ट डंप साइट रेमिडियेशन कार्य।
2. कार्य की अनुमानित लागतः— 80,72,900 रू
3. अनुबंध दिनांक :— 01.05.23
4. स्वीकृत दर :— 16.8% below
5. कार्य की समयावधि :— 04 माह

अतः आप उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें।

4/5/23

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद हरदा

क्रमांक / जनस्वास्थ्य शाखा / 2023 / 1833 हरदा दिनांक 04/05/23

प्रतिलिपिः—

1. अध्यक्ष महोदया, नगर पालिका परिषद हरदा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4/5/23

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद हरदा

ANNEXURE R-3/10

कार्यालय नगर पालिका परिषद, हरदा जिला–हरदा

ULB Code- 802342, Mail- cmoharda@mpurban.gov.in

क्रमांक / जनस्वा.शाखा / 23 / 2876 हरदा, दिनांक 06/07/2023 (16)

प्रति,

शंकर गंगाराम
हरदा

विषयः ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र पर कचरा छटाई एवं कम्पोस्टिंग कार्य करने बावत।

संदर्भः आपके द्वारा प्रस्तुत भावपत्र दिनांक 27/6/23

---00---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत भावपत्र निकाय द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतः आप ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र पर कचरा छटाई एवं कम्पोस्टिंग कार्य 05 श्रमिको के माध्यम से 02 माह तक कार्य कर विल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद हरदा

O/C शंकर

कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदा, जिला–हरदा (म.प्र.)

निकाय कोड – 802342 25/03/2023

कम्पोस्टिंग यूनिट के फोटोग्राफ

ANNEXURE R-3/11
17

एम॰ आर॰ एफ॰ सेंटर की फोटो

18

मध्य प्रदेश ₹40 ₹40 चालीस रुपये 1827603 अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प

VAKALATNAMA

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, (PB) BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION /APPEAL / REVIEW No. 523 /2022

......SAYED MEHMOOD ALI CHISTI.......**Claimant/Petitioner/Applicant**

VERSUS

......STATE OF MADHYA PRADESH.........**Respondent/Non-Applicant**

I/we the Respondent/Non- applicant named below do hereby appoint, engage and authorize advocate named below to appear, act and plead in aforesaid case/proceedings, which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any other Court in which the same may be tried/heard/proceeded with and also in the National Green Tribunal in respect of proceedings arising from this case/proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/ them to sign and file pleadings, cross objections, petitions, applications, affidavits, or other document as may be deemed necessary or proper for the prosecution/ defence of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by him/ them as if done by me/us : In witness whereof I/We do hereunto set my/ our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by me/ us, this ...25th... day of ...JULY 2023 at Bhopal (M.P.)

Particulars (in block letters) of each Party Executing Vakalatnama

Name & Father/s/ Husband/s name	**Registered Address**	**E-mail Address (if any)**	**Telephone Number (if any)**	**Status in the case**	**Full Signature/ **Thumb Impression**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sanjeev kumar Nagu S/O Shri K.C. Nagu Age-52 Dy. Coll. Harda	Collectorate Harda	sanjeevnagu4hdmp@gmail.com	9685541173	OIC R-5.	[signature]

Accepted:

Particulars (in Block Letters) of each advocate accepting Vakalatnama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SACHIN K. VERMA ADV ENRL NO. MP/2130/1998 HARSHITA TEJWANI ENRL NO. MP/2754/2020	CHAMBER NO. 608, UCI LAWYERS CHAMBER ARERA HILLS BHOPAL462011	ngtstandingcounsel@gmail.com	9425412492	[signatures]